लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1812

जिसका उत्तर बुधवार, 13 दिसम्बर, 2023 को दिया जाएगा

मूल्य स्थिरीकरण कोष

1812. श्री मुकेश राजपूत: श्री पी.सी. मोहन: श्री रमेश चन्द्र कौशिक: श्री खगेन मुर्मु: श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014-15 में सृजित मूल्य स्थिरीकरण कोष का अब तक का ब्यौरा क्या है और जिन वस्तुओं का बफर स्टॉक का सृजन किया गया है उनके मुद्रास्फीति पर इसके क्या प्रभाव पड़े हैं;

(ख) इस भंडार के रख-रखाव से जुड़ी एजेंसियों के नाम क्या हैं तथा विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रत्येक एजेंसी को कितने धन का वितरण किया गया है;

(ग) मूल्य स्थिरीकरण को ज्यादा दक्ष बनाने के लिए विशेषकर कोविड के दौरान, मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस पहल से कितने घरों को लाभ हुआ है;

(ङ) इसके तहत राज्य-वार वितरित दालों की कुल मात्रा क्या है; और

(च) सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग की योजना के क्रियान्वयन की स्थिति 2020 में इसके प्रारंभ से अब तक राज्य-वार और जिला-वार क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) एवं (ख): उपभोक्ता द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाईयों को कम करने के लिए कुछ कृषि-बागवानी वस्तुओं नामत: प्याज, आलू और दालों की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2014-15 में मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना की गई। पीएसएफ के उद्देश्य अग्रलिखित हैं: (i) फार्म गेट/मंडी में कृषकों/कृषक संस्थाओं से सीधी खरीद का संवर्धन करना; (ii) एक कार्यनीतिक बफर स्टॉक बनाए रखना जिससे जमाखोरी और अनैतिक सट्टेबाजी को रोका जा सकेगा; और (iii) स्टॉक की अंशांकित रिलीज के माध्यम से सस्ती कीमत पर ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति द्वारा उपभोक्ता का संरक्षण करना। इस स्कीम के तहत पिछले कुछ वर्षों में दाल (तूर, उड़द, मूंग, मंसूर और चना) और प्याज का गतिशील बफर स्टॉक बनाया गया है। बफर स्टॉक का रखरखाव और बफर से अंशांकित रिलीज से कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिली। वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक पीएसएफ के लिए कुल 27,489 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता दी गई है। पीएसएफ स्कीम से निधियों का उपयोग पीएसएफ बफर में कृषि-बागवानी वस्तुओं की खरीद, भंडारण एवं रिलीज के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यशील पूंजी तथा अन्य आकस्मिक व्यय प्रदान करने में किया जाता है। पीएसएफ के तहत आने वाली केंद्रीय नोडल एजेंसियां - भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नफेड), लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी), राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता संगठन (एनसीसीएफ); मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एमएमटीसी) और स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसटीसी) हैं। केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत जारी निधियों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग) से (ड.):	पीएसएफ बफर से दालों का उपयोग कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लाभार्थियों और फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को पौष्टिक खाद्य उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। कोविड-19 के आर्थिक प्रतिक्रिया के भाग के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत की गई घोषणाओं के अनुपालन में, उपभोक्ता मामले विभाग ने आरंभ में तीन माह - अप्रैल से जून 2020- के लिए 19.4 करोड़ लाभार्थी परिवारों को मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर से 1 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह नि: शुल्क दालों के वितरण का प्रावधान किया था। इसके बाद, अगले इसे पांच माह अर्थात् जुलाई से नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया, जिसके अंतर्गत पीएसएफ बफर से लाभार्थी परिवारों को प्रति परिवार 1 किलोग्राम की दर से नि:शुल्क साबुत चना वितरित किया गया। इसके अलावा, आत्मनिर्भर भारत (एनएनबी) के तहत, फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को मई और जून 2020 की दो माह की अवधि के लिए पीएएसएफ बफर से प्रतिमाह प्रति परिवार 1 किलोग्राम की दर से नि:शुल्क साबूत चना वितरित किया गया था। पीएमजीकेएवाई और एनएनबी के तहत वितरित दालों की राज्य-वार मात्रा और लाभार्थी परिवारों की संख्या **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

(च) दिनांक 23 जून 2021 के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-25062021-227808 के अनुसार दिनांक 23 जून 2021 से 256 जिलों में 14, 18 और 22 कैरेट के स्वर्ण आभूषणों/शिल्पकृतियों के लिए अनिवार्य हालमार्किंग के प्रथम चरण को कार्यान्वित किया गया था। दिनांक 4 अप्रैल 2022 के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-04042022-234822 के अनुसार दिनांक 01 जून 2022 से 288 (32 अतिरिक्त जिलों) जिलों में 14, 18, 20, 22, 23 तथा 24 कैरेट के स्वर्ण आभूषण/शिल्पकृतियों के लिए अनिवार्य हालमार्किंग के दूसरे चरण को कार्यान्वित किया गया था। दिनांक 06 सितम्बर 2023 के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-06092023-248618 के अनुसार दिनांक 06 सितम्बर 2023 से 343 (55 अतिरिक्त जिलों) जिलों में 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट के स्वर्ण आभूषण/शिल्पकृतियों के लिए तीसरा चरण कार्यान्वित किया गया था।

अनुलग्नक-I

'मूल्य स्थिरीकरण कोष' के संबंध में दिनांक 13.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1812 के उत्तर भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण

केंद्रीय नोडल एजेंसियां	**राशि (करोड़ रुपये में)**
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड)	43,756.45
लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (एसएफएसी)	754.20
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)	1,574.28
धातु और खनिज व्यापार निगम (एमएमटीसी)	2,611.54
राज्य व्यापार निगम (एसटीसी)	42.81
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित (एनसीसीएफ)	2,299.41
राज्य-स्तरीय पीएसएफ के लिए राज्यों को जारी निधियां	
आंध्र प्रदेश	50.00
पश्चिम बंगाल	2.50
तेलंगाना	9.15
ओडिशा	25.00
तमिलनाडु	2.50
असम	75.00
नागालैंड	37.50

*****

अनुलग्नक-II

'मूल्य स्थिरीकरण कोष' के संबंध में दिनांक 13.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1812 के उत्तर भाग (ग) से (ड.) में उल्लिखित विवरण.

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	पीएमजीकेएवाई I (अप्रैल-जून 2020)		पीएमजीकेएवाई II (जुलाई-नवंबर 2020)		एएनबी (मई और जून, 2020)	
		राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वितरित मात्रा (एमटी में)	लाभार्थी परिवार की संख्या (संख्या में)	राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वितरित कुल मात्रा (एमटी में)	लाभार्थी परिवारों की संख्या (संख्या में)	राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वितरित मात्रा (एमटी में)	लाभार्थी परिवारों की संख्या (संख्या में)
1	अंडमान और निकोबार	48.26	16,087	81.40	16,280	8.55	8,554
2	आंध्र प्रदेश	25,894.28	86,31,425	39,350.35	78,70,071	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश	529.12	1,76,372	881.87	1,76,373	34.90	34,900
4	असम	17,356.12	57,85,373	28,773.25	57,54,650	788.27	7,88,270
5	बिहार	43,001.30	1,43,33,767	77,117.14	1,54,23,428	3,386.90	33,86,900
6	चंडीगढ़	172.52	57,506	296.73	59,345	7.06	7,056
7	छत्तीसगढ	15,216.78	50,72,260	25,351.97	50,70,394	173.29	1,73,290
8	दादर नगर हवेली दमन और दीव	195.72	65,239	326.20	65,239	13.05	13,050
9	दिल्ली	5,173.99	17,24,662	8,766.82	17,53,363	113.33	1,13,332
10	गोवा	427.50	1,42,500	711.55	1,42,310	1.60	1,600
11	गुजरात	19,325.53	64,41,843	30,497.98	60,99,597	21.39	21,392
12	हरियाणा	7,283.26	24,27,753	10,995.97	21,99,194	484.35	4,84,350
13	हिमाचल प्रदेश	1,952.38	6,50,794	3,044.92	6,08,985	121.00	1,20,997
14	जम्मू और कश्मीर	4,905.44	16,35,146	8,154.52	16,30,905	82.47	82,467
15	झारखंड	17,086.13	56,95,376	28,525.68	57,05,136	1,088.14	10,88,140
16	कर्नाटक	37,692.47	1,25,64,155	60,482.87	1,20,96,575	2,350.05	23,50,053
17	केरल	10,782.19	35,94,065	18,073.79	36,14,758	306.90	3,06,897
18	लद्दाख	87.37	29,123	145.52	29,103	-	-
19	लक्षद्वीप	15.60	5,200	29.63	5,925	1.91	1,914
20	मध्य प्रदेश	29,098.00	96,99,333	48,805.30	97,61,060	159.33	1,59,330
21	महाराष्ट्र	43,211.21	1,44,03,738	62,148.19	1,24,29,638	1,248.46	12,48,455
22	मणिपुर	1,762.51	5,87,503	2,954.90	5,90,980	80.87	80,872
23	मेघालय	1,264.51	4,21,503	2,107.52	4,21,503	84.30	84,300
24	मिजोरम	346.33	1,15,442	777.03	1,55,405	29.75	29,750
25	नागालैंड	854.80	2,84,933	1,424.66	2,84,932	56.00	56,000
26	ओडिशा	28,558.54	95,19,513	44,577.52	89,15,504	15.13	15,130
27	पुदुचेरी	494.48	1,64,827	793.27	1,58,654	17.61	17,606
28	पंजाब	10,413.83	34,71,276	17,109.00	34,21,800	1,015.72	10,15,720
29	राजस्थान	30,029.78	1,00,09,928	45,423.68	90,84,736	2,002.04	20,02,040
30	सिक्किम	281.57	93,857	457.69	91,537	18.71	18,708
31	तमिलनाडु	33,323.76	1,11,07,920	54,436.00	1,08,87,200	193.00	1,93,000
32	तेलंगाना	15,988.18	53,29,393	-	-	34.46	34,463
33	त्रिपुरा	1,620.29	5,40,097	2,795.74	5,59,148	21.93	21,929
34	उत्तर प्रदेश	1,00,226.40	3,34,08,799	1,68,636.60	3,37,27,319	1,060.50	10,60,497
35	उत्तराखंड	4,034.58	13,44,859	6,591.95	13,18,389	25.60	25,595
36	पश्चिम बंगाल	43,587.00	1,45,29,000	71,818.00	1,43,63,600	2,680.00	26,80,000
	कुल	**5,52,241.70**	**18,40,80,568**	**8,72,465.18**	**17,44,93,036**	**17,726.56**	**1,77,26,557**

*****